भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ 1008 (45)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2015–16/559 दिनांक : 03.08.2016

परिपत्र

दिनांक 13.07.2016 से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार की पहचान केवल भामाशाह कार्ड/भामाशाह ईआईडी(पावती रसीद)/आरएसबीवाई कार्ड से ही किये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक लाभार्थी परिवार का चिन्हीकरण हेतु भामाशाह कार्ड पर सीडिंग होना आवश्यक है।

राज्य सरकार द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभांवित करने करने का निर्णय लिया गया है। यद्यपि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अधिसूचना संख्या एफ13 (10)(5)खा.वि./खाद्यान्न/2013 दिनांक 20.11.2015 की समावेशन सूची के बिन्दू संख्या 9 के अनुसार श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए पात्र परिवार माना गया है। अतः लगभग सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित परिवार हैं, इसलिये वर्तमान में लगभग सभी निर्माण श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र परिवार के रूप में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सूचना अलग से संधारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं। इसके लिये भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किये जा रहें हैं तथा भामाशाह योजना के प्लेटफॉर्म पर इन निर्माण श्रमिकों के उपलब्ध डेटाबेस का समन्वय किया जायेगा।

परन्तु जब तक सॉफ्टवेयर में प्रावधान नहीं हो जाता है, तब तक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत ईलाज के लिए आने वाले परिवारों से जानकारी ली जावे कि क्या वो भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं यदि हां तो ऐसे मरीजों का एक अलग से रजिस्टर संधारित किया जावे, जिसमें मरीज का विवरण के अतिरिक्त परिवार के मुखिया की भामाशाह पहचान संख्या तथा निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन संख्या आवश्यक रूप से दर्ज की जावे।

यदि कोई ऐसा निर्माण श्रमिक अपने परिवार के किसी सदस्य के ईलाज के लिये आता है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवार नहीं है, तो ऐसे परिवार की सूचना तत्काल जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंन्स एजेंसी को ई–मेल (bsbyraj@gmail.com) द्वारा प्रेषित की जावे। इनके ईलाज की वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

इसके साथ ही इन निर्माण श्रमिकों के परिवार की महिला मुखिया के भामाशाह कार्ड पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत परिवार के बने हुए राशन कार्ड की एन्ट्री किसी भी ई–मित्र/अटल सेवा केन्द्र पर जाकर कराने की सलाह दी जाये, ताकि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत इनको लाभान्वित किया जा सके।

ऐसे निर्माण श्रमिक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवार नहीं पाये जाते हैं उन्हे भी सलाह दी जानी चाहिए की खाद्य विभाग के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के

अन्तर्गत पात्र परिवार है, अतः अपने क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय में जाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवारों की सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।

निर्माण श्रमिकों के कार्ड का नमूना आपको इस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है। प्रत्येक अस्पताल को इस कार्ड के नमूने की प्रति भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अस्पताल के काउन्टर पर आवश्यक रूप से लगानी है।

नवीन जैन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांकः एफ 1008 (45)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2015–16/ 559 **दिनांक :** 03.08.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन सचिव, माननीया मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सचिव, चिकित्सा एवं स्वा. मंत्री राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर।
5. शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, आयोजना विभाग।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. संभाग सयुंक्त निदेशक, (समस्त संभाग)।
10. प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, समस्त।
11. अधीक्षक मेडिकल कॉलेज से संबंधित समस्त अस्पताल।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
13. समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी (प.क)
14. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त जिले।
15. जिला आईईसी समन्वयक को भेजकर लेख है कि उक्त शिविरो में योजना से संबंधित सभी नये महत्वपूर्ण बदलाव और जानकारी को फलेक्स और पेम्पलेट्स के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।
16. नोडल अधिकारी (निजी एवं राजकीय सम्बद्ध अस्पताल समस्त)
17. पत्रावली संख्या एफ1008(22)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2015–16 में प्रति लगाने हेतु।
18. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई–मेल कराने हेतु एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी

email : bsbyraj@gmail.com
website: www.rajswasthya.nic.in,
www.health...